संख्या-633/2025/आई/1159007/23-1-25/001-23-1002(002)/327/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 29 नवम्बर, 2025**

विषय- सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष भुगतान हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष **विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 20 मार्गों हेतु कुल रू0 1,43,58,000/- (रूपये एक करोड़ तैतालीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1486सी0/ 02सी/305 4/आईओ सीएल /प्रयागराज/ 25-26, दिनांक	नि.ख. कौशाम्बी	टिकरी पौरकाशीरामपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	362 /2021/1534 रासनि/23-1-21-44 रासनि/20 टीसी दिनांक 21.12.2021	49.24	14290017 30-03-2023	9.85	9.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16.10.2025							
2	1486सी0/02सी/3054/आईओसीएल/प्रयागराज/25-26, दिनांक 16.10.2025	नि.ख. कौशाम्बी	करारी शाहपुर मार्ग के विभिन्न आबादी भाग मे नाली निर्माण के विशेष मरम्मत का कार्य।	35 /2021 /76 रासनि /23-1-20-44रासनि/20, दिनांक 03.02.2021	300.72	14290017 30-03-2023	8.05	8.05
3	1486सी0/02सी/3054/आईओसीएल /प्रयागराज/25-26, दिनांक 16.10.2025	नि.ख. कौशाम्बी	फकीराबाद किशनपुर अम्बारी सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	18 /2020 /432 रासनि /23-1-20 -27 रासनि /19 दिनांक 17.01.2020	247.33	14290017 30-03-2023	3.66	3.66
4	1013सी/02सी/3054 /आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-1 हरदोई	पलिया लखनऊ मार्ग से फूल बेहटा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314 /2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनंाक 30.11.2021	52.93	62 22-11-2023	5.29	5.29
5	1013सी/02सी/3054 /आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-1 हरदोई	चौसार बेहटा कटरी छोछपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314 /2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनंाक 30.11.2021	50.24	62 22-11-2023	5.02	5.02
6	1013सी/02सी/3054 /आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-1 हरदोई	पलिया लखनऊ मार्ग से मिठनापुर शर्मा हाल्ट मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314 /2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनंाक 30.11.2021	53.22	62 22-11-2023	1.00	1.00
7	1013सी/02सी/3054 /आईओसीएल/25-	नि.ख.-1 हरदोई	पिहानी करावां मार्ग से सहिजना मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य। किमी0-1 से 6(660)	314 /2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि /21 टी0सी0 2	88.68	62 22-11-2023	8.87	8.87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26, दिनांक 17.09.2025			दिनंाक 30.11.2021				
8	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-1 हरदोई	बरगवां-बिजगवां वाया सुमई मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	314 /2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनंाक 30.11.2021	49.20	62 22-11- 2023	4.92	4.92
9	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. महराजगंज	सोहरौना तिवारी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	178 /2021/796 रासनि/23-1-21-120 रासनि/21 दिनंाक 19.08.2021	42.30	7000/01/CV 00051 31-03-2023	21.15	21.15
10	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. महराजगंज	पुरन्दरपुर से हथिगढ़वा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	60 /2021 /1224 रासनि /23-1-21-94 रासनि/20 दिनंाक 24.02.2021	61.52	7000/01/EC 00077 12-05-2023	13.00	13.00
11	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	कुडरी से आमी नाला सम्पर्क मार्ग	109 रासनि /23-1-19-55 रासनि/18 दिनांक 28.02.2019 दिनांक - 28-02-2019	56.09	E600027 06-05-2023	5.91	5.91
12	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	धनखोर से मझनगिरा सम्पर्क मार्ग एवं 70र0मी0 रपटा का निर्माण।	109 रासनि /23-1-19-55 रासनि/18 दिनांक 28.02.2019 दिनांक - 28-02-2019	51.81	E600027 06-05-2023	14.06	14.06
13	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-	नि.ख. सोनभद्र	विकास खण्ड म्योर के अन्तर्गत गोडान टोला सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	60/2021/1224 रासनि/23-1-21-94 रासनि/20	45.37	E600028 06-05-2023	9.07	9.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26, दिनांक 17.09.2025			दिनांक - 24-02-2021				
14	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	पोखरा से तेन्दुवल सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया (पी0एम0जी0एस0वाई0) के विशेष मरम्मत का कार्य। (6 ग 3.00 मी0 स्पान की स्लैब पुलिया सहित)	35/2021/76 रासनि/23-1-20-44 रासनि/20 दिनांक - 03-02-2021	68.15	E600028 06-05-2023	13.63	13.63
15	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग सं077 (0से 36.750)	109 रासनि /23-1-19-55 रासनि/18 दिनांक 28.02.2019 दिनांक - 28-02-2019	417.31	E600027 06-05-2023	5.38	5.38
16	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	म्योरपुर से बिच्छी (गड़िया) तक सम्पर्क मार्ग	63 /2020/681 रासनि/23-1-20-51 रासनि/20 दिनांक - 17-03-2020	71.82	E600027 06-05-2023	1.52	1.52
17	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख. सोनभद्र	डुमरहर से रम्पाकूडर गिरवानी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	213/2020/966 रासनि/23-1-20-90 रासनि/20 दिनांक - 17-12-2020	44.21	E600028 06-05-2023	1.20	1.20
18	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	बासुपुर से बाला होते हुए लक्षागृह गोड़री मार्ग	358 /2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2 दिनंाक 17.12.2021	19.21	JH00134 17-10-2023	4.00	4.00
19	1013सी/02सी/3054/आईओसीएल/25-	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	अन्दावा चेक पोस्ट से ओल्ड ए0 जी0 मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	358 /2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	41.39	JH00134 17-10-2023	4.00	4.00

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26, दिनांक 17.09.2025			दिनंाक 17.12.2021				
20	1013सी/02सी/3054 /आईओसी एल/25-26, दिनांक 17.09.2025	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	पृथ्वीपुर से पिपरी होते हुए दुलापुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	202 /2021/890 रासनि/23-1-21-43 रासनि/20 दिनंाक 27.09.2021	69.51	JH00134 17-10-2023	4.00	4.00
							कुल योग-	**143.58**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) तेल कम्पनियों से केवल वही धनराशियॉ वापस लेकर राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर दी जायेंगे, जिनका भुगतान 01.04.2022 से पूर्व किया गया है।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिन कार्यों पर प्रथमत: उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाय।

(10) प्रश्नगत धनावंटन संबंधी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-आई/952140/2025, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्र संख्या-आई/962076/2025, दिनांक 14.05.2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाये। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियां भी अवश्य प्रेषित की जायें।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 एवं 14.05.2025 में दिये गये निर्देशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने व्यय **रू0 1,43,58,000/- (रूपये एक करोड़ तैतालीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/**2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-633/2025/आई/1159007(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/327/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।